कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 3461 / 12–1, मसूरी, दिनांक, 19/2/ 2020।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा,
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन
विकास एंव निर्माण निगम, (मसूरी) देहरादून,
कुटुम्ब विहार, ग्रा0 व पो0 सिनौला, देहरादून।

विषय :– मसूरी पुर्नगठन पेयजल योजना के निर्माण हेतु वांछित 2.323 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम, देहरादून को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव। (FP/UK/WATER/42511/2019)

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक 230 एंव 231 / 133 / 10 दिनांक 01–02–2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों को अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव दो हार्ड प्रति (मूल में) दिनांक 3–2–2020 तथा दिनांक 18–2–2020 को इस कार्यालय में आनलाईन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। आनलाईन प्राप्त प्रस्ताव की प्रभाग स्तर से जॉच /परीक्षण उपरान्त प्रस्ताव में निम्न कतिपय कमियां पायी गयी, जिनके निराकरण हेतु आनलाईन प्रस्ताव आपको वापस किया जाता है:–

1– प्रस्ताव के भाग–1 के पैरा C(iii) एंव (iv) में प्रस्तावित पेयजल योजना के निर्माण हेतु प्रस्तावित परियोजना के डिजीटल मानचित्र एंव जियो रिफरेन्स मानचित्र प्रयोक्ता एजेन्सी के सक्षम /अधिशासी अभियन्ता एंव प्रभागीय वनाधिकारी के समुहर हस्ताक्षर रहित अपलोड किये गये है। कृपया प्रयोक्ता एजेन्सी के सक्षम /अधिशासी अभियन्ता एंव प्रभागीय वनाधिकारी के समुहर हस्ताक्षर सहित प्रस्तावित परियोजना के डिजीटल मानचित्र एंव जियो रिफरेन्स मानचित्र यथास्थान अपलोड किये जायें।

2– प्रस्ताव के भाग–1 के पैरा K (a) में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित जिलास्तरीय अनापत्ति प्रमाण–पत्रों में (जनपद–देहरादून व जनपद–टिहरी गढ़वाल) से सम्बन्धित जिलाधिकारियों के बिना समुहर हस्ताक्षर एंव बैठक की तिथि के अपूर्ण प्रपत्र अपलोड किये गये है। कृपया जिलास्तरीय अनापत्ति प्रमाण–पत्रों को सम्बन्धित जिलाधिकारियों से पूर्ण कराते हुए समुहर हस्ताक्षर एंव बैठक की तिथि युक्त परिपूर्ण जिलास्तरीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र ऑनलाईन प्रस्ताव के Form A, Part I एंव Additional information Details में यथास्थान अपलोड किये जायं साथ ही ग्राम भेडियाणा एंव नगर पालिका परिषद, मसूरी द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्रों को उक्तानुसार यथास्थान आनलाईन अपलोड किया जाय।

3– प्रस्ताव के भाग–1 के पैरा L(v) एंव (vi) में प्रस्तावित पेयजल योजना के निर्माण हेतु वांछित वन भूमि के बदले दुगने क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल सायेम भूमि के डिजीटल मानचित्र एंव जियो रिफरेन्स मानचित्र प्रयोक्ता एजेन्सी के सक्षम /अधिशासी अभियन्ता एंव प्रभागीय वनाधिकारी के समुहर हस्ताक्षर रहित अपलोड किये गये है। कृपया प्रयोक्ता एजेन्सी के सक्षम /अधिशासी अभियन्ता एंव प्रभागीय वनाधिकारी के समुहर हस्ताक्षरयुक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र के डिजीटल मानचित्र एंव जियो रिफरेन्स मानचित्र यथास्थान अपलोड किये जायें।

4. प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि के बदले दुगने सिविल सोयम भूमि का गूगल मानचित्र की दो साफ्ट कापी / सी0डी0 प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाय।

संलग्न–उक्तानुसार।

भवदीया

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

डिजिटल मैपः–मसूरी पुनर्गठन पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य हेतु

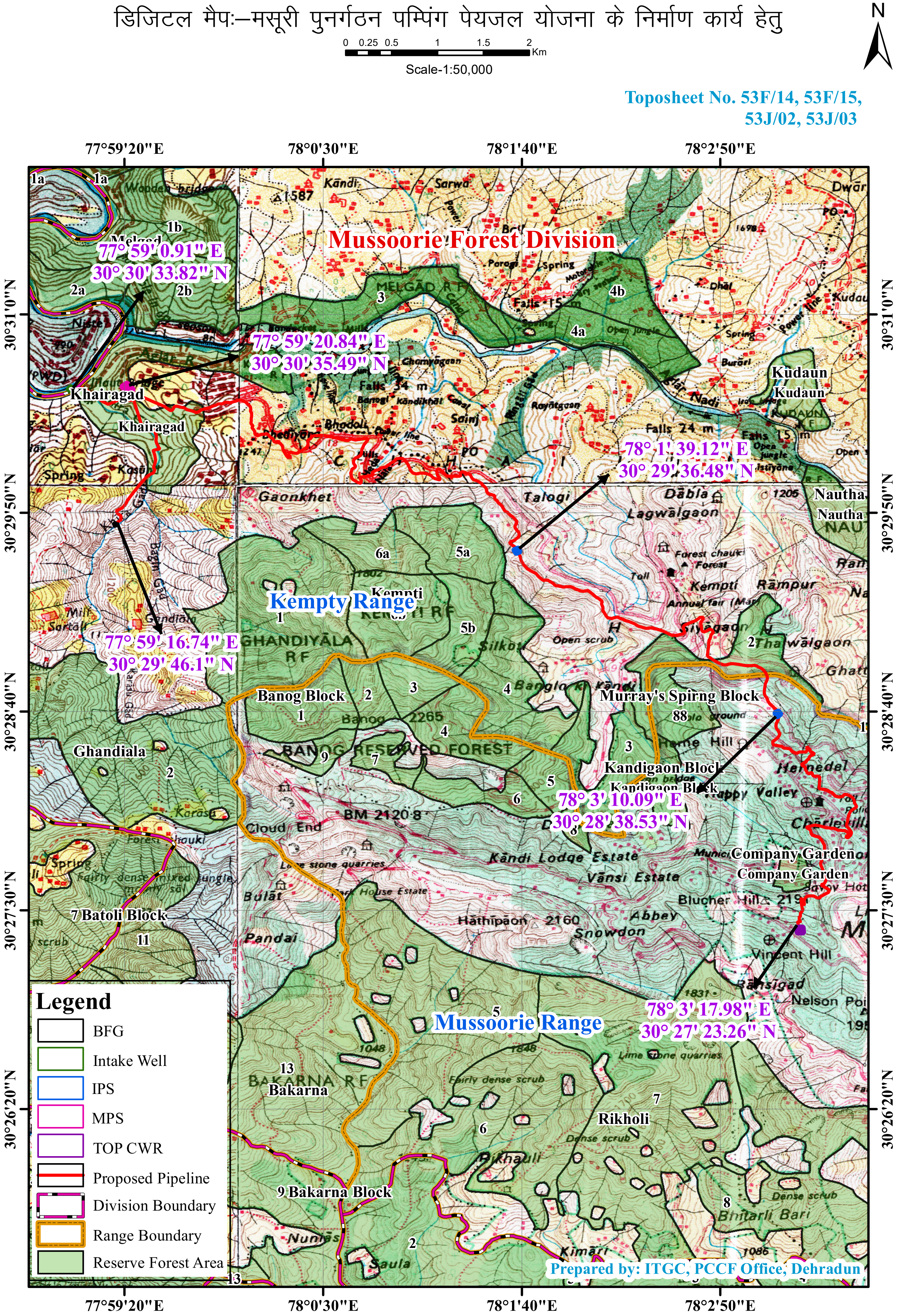

जियोरेफेरेन्स मैपः—मसूरी पुनर्गठन पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य हेतु

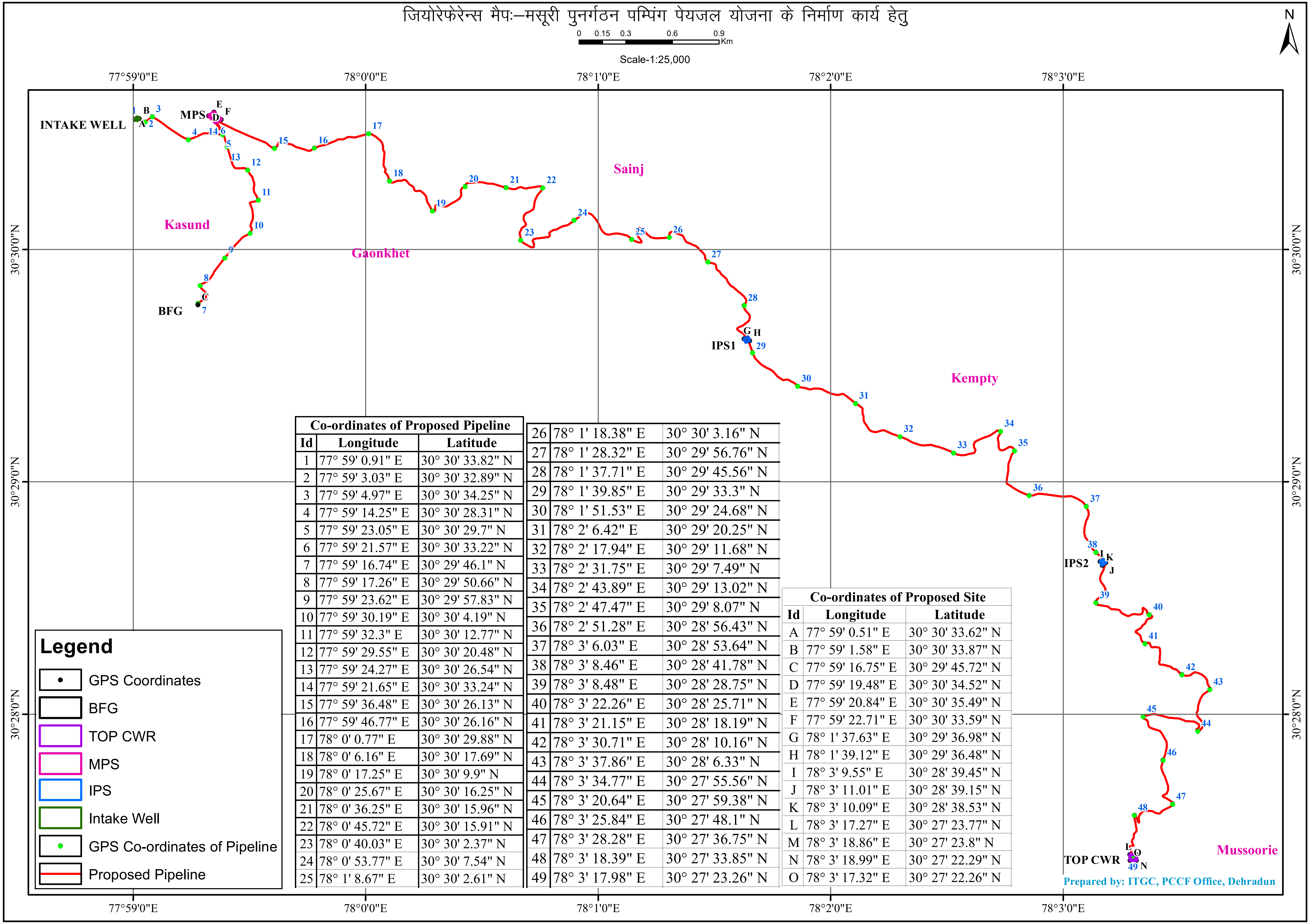

Co-ordinates of Proposed Pipeline

Id	Longitude	Latitude
1	77° 59' 0.91" E	30° 30' 33.82" N
2	77° 59' 3.03" E	30° 30' 32.89" N
3	77° 59' 4.97" E	30° 30' 34.25" N
4	77° 59' 14.25" E	30° 30' 28.31" N
5	77° 59' 23.05" E	30° 30' 29.7" N
6	77° 59' 21.57" E	30° 30' 33.22" N
7	77° 59' 16.74" E	30° 29' 46.1" N
8	77° 59' 17.26" E	30° 29' 50.66" N
9	77° 59' 23.62" E	30° 29' 57.83" N
10	77° 59' 30.19" E	30° 30' 4.19" N
11	77° 59' 32.3" E	30° 30' 12.77" N
12	77° 59' 29.55" E	30° 30' 20.48" N
13	77° 59' 24.27" E	30° 30' 26.54" N
14	77° 59' 21.65" E	30° 30' 33.24" N
15	77° 59' 36.48" E	30° 30' 26.13" N
16	77° 59' 46.77" E	30° 30' 26.16" N
17	78° 0' 0.77" E	30° 30' 29.88" N
18	78° 0' 6.16" E	30° 30' 17.69" N
19	78° 0' 17.25" E	30° 30' 9.9" N
20	78° 0' 25.67" E	30° 30' 16.25" N
21	78° 0' 36.25" E	30° 30' 15.96" N
22	78° 0' 45.72" E	30° 30' 15.91" N
23	78° 0' 40.03" E	30° 30' 2.37" N
24	78° 0' 53.77" E	30° 30' 7.54" N
25	78° 1' 8.67" E	30° 30' 2.61" N
26	78° 1' 18.38" E	30° 30' 3.16" N
27	78° 1' 28.32" E	30° 29' 56.76" N
28	78° 1' 37.71" E	30° 29' 45.56" N
29	78° 1' 39.85" E	30° 29' 33.3" N
30	78° 1' 51.53" E	30° 29' 24.68" N
31	78° 2' 6.42" E	30° 29' 20.25" N
32	78° 2' 17.94" E	30° 29' 11.68" N
33	78° 2' 31.75" E	30° 29' 7.49" N
34	78° 2' 43.89" E	30° 29' 13.02" N
35	78° 2' 47.47" E	30° 29' 8.07" N
36	78° 2' 51.28" E	30° 28' 56.43" N
37	78° 3' 6.03" E	30° 28' 53.64" N
38	78° 3' 8.46" E	30° 28' 41.78" N
39	78° 3' 8.48" E	30° 28' 28.75" N
40	78° 3' 22.26" E	30° 28' 25.71" N
41	78° 3' 21.15" E	30° 28' 18.19" N
42	78° 3' 30.71" E	30° 28' 10.16" N
43	78° 3' 37.86" E	30° 28' 6.33" N
44	78° 3' 34.77" E	30° 27' 55.56" N
45	78° 3' 20.64" E	30° 27' 59.38" N
46	78° 3' 25.84" E	30° 27' 48.1" N
47	78° 3' 28.28" E	30° 27' 36.75" N
48	78° 3' 18.39" E	30° 27' 33.85" N
49	78° 3' 17.98" E	30° 27' 23.26" N

Co-ordinates of Proposed Site

Id	Longitude	Latitude
A	77° 59' 0.51" E	30° 30' 33.62" N
B	77° 59' 1.58" E	30° 30' 33.87" N
C	77° 59' 16.75" E	30° 29' 45.72" N
D	77° 59' 19.48" E	30° 30' 34.52" N
E	77° 59' 20.84" E	30° 30' 35.49" N
F	77° 59' 22.71" E	30° 30' 33.59" N
G	78° 1' 37.63" E	30° 29' 36.98" N
H	78° 1' 39.12" E	30° 29' 36.48" N
I	78° 3' 9.55" E	30° 28' 39.45" N
J	78° 3' 11.01" E	30° 28' 39.15" N
K	78° 3' 10.09" E	30° 28' 38.53" N
L	78° 3' 17.27" E	30° 27' 23.77" N
M	78° 3' 18.86" E	30° 27' 23.8" N
N	78° 3' 18.99" E	30° 27' 22.29" N
O	78° 3' 17.32" E	30° 27' 22.26" N

डिजिटल मैपः—मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

SOI Toposheet No: 53F/15

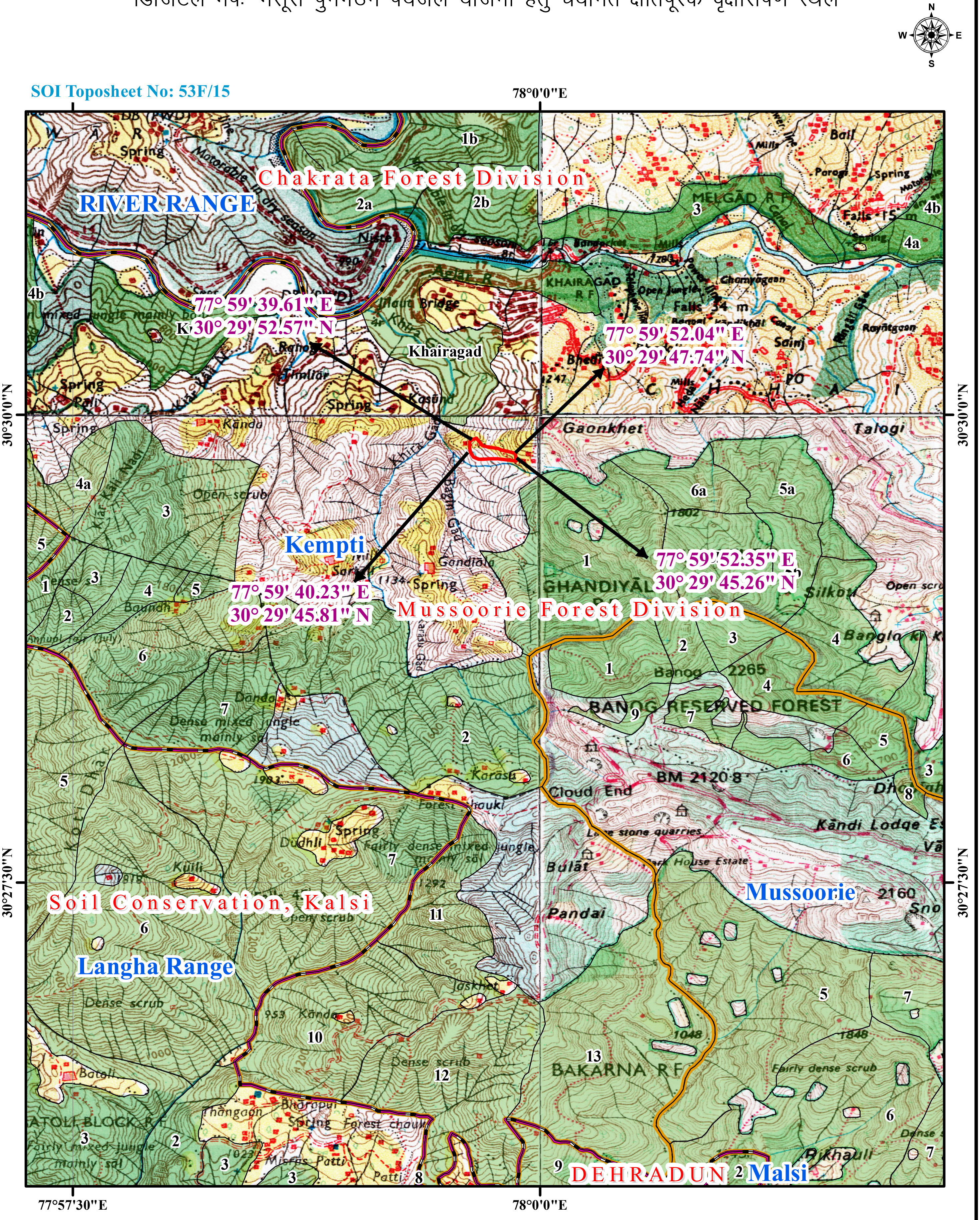

Legend

- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary
- Proposed Plantation Site

0 0.25 0.5 1 1.5 2 Km

Scale-1:50,000

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

जियोरेफेरेन्स मैपः—मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

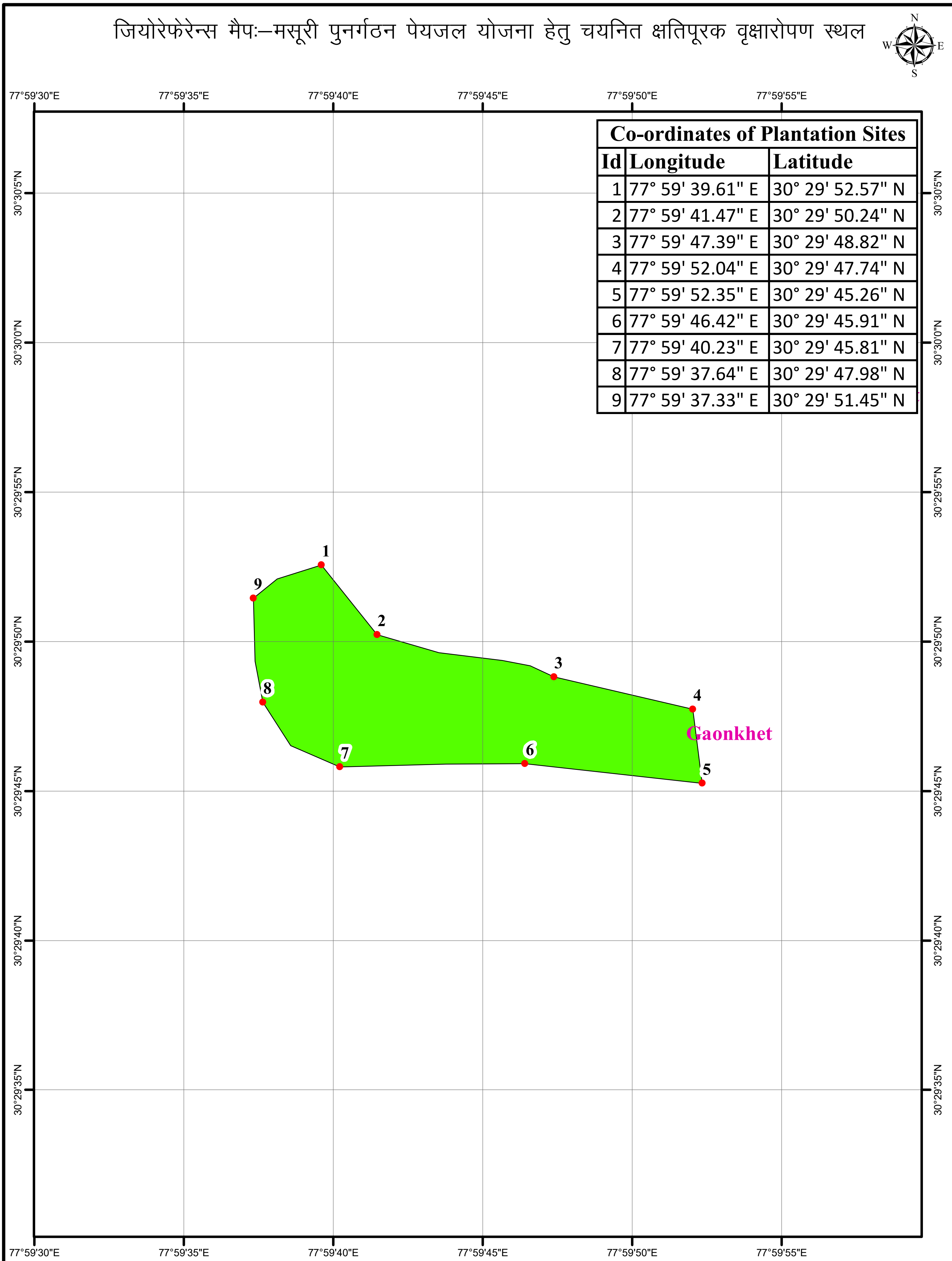

Co-ordinates of Plantation Sites

Id	Longitude	Latitude
1	77° 59' 39.61" E	30° 29' 52.57" N
2	77° 59' 41.47" E	30° 29' 50.24" N
3	77° 59' 47.39" E	30° 29' 48.82" N
4	77° 59' 52.04" E	30° 29' 47.74" N
5	77° 59' 52.35" E	30° 29' 45.26" N
6	77° 59' 46.42" E	30° 29' 45.91" N
7	77° 59' 40.23" E	30° 29' 45.81" N
8	77° 59' 37.64" E	30° 29' 47.98" N
9	77° 59' 37.33" E	30° 29' 51.45" N

Legend

- GPS Location
- Proposed Plantation Site

1:5,000

0 0.05 0.1 0.2 km

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

Form -I
For linear Project
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Dehradun

No............ Dated............

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of ‘The Ministry of Enviroment and Forest (MoEF) Government of india ‘s letter 11-9/98-Fc(Pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidlines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Regcogination of Forest Rights) Act 2006 (FRA’, for Short) on the forest land proposed to be divered for non-forest purpose read with MoEF’s letter dated 5th February 2013 wherein MoLF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.845 Hectare of Notified Forest land proposed to be diverted in favour of **Uttarakhand peyjal Sansadhan Vikas Evam Nirman Nigam, Mussoorie** for for construction of Mussoorie Reorganisation Water Supply Scheme Dehradun district falls within jurisdication of Nagarpalika Parishad Mussoorie.

It is the further certified that

a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.845 Hectare of Notified Forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Nagarpalika Parishad Mussoorie and sub Division Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...... to .... annexure

b) The diversion of forest land for facilities managed by the Govenmant as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Nagarpalika Parishad Mussoorie have given their consent to it.

c) The proposal does not involved recognised rights of Primitive Tribal Group and agriculture communities

Encl : as above

Signature

(full name and official seal of the District Collector)

District Megistrate
Dehradun

Form-II
For linear Project
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Dehradun

No........... Dated...........

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of 'The ministry of Enviroment and Forest (MoEF) Government of india 's letter 11-9/98-Fc(Pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidlines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Regcogination of Forest Rights) Act 2006 (FRA', for Short) on the forest land proposed to be divered for non-forest, it is certified that 0.845 hectare of Notified Forest land proposed to be diverted in favour of **Uttarakhand peyjal Sansadhan Vikas Evam Nirman Nigam, Mussoorie** for construction of Mussoorie Reorganisation Water Supply Scheme Dehradun district falls within jurisdication of Nagar Palika Parishad Mussoorie.

It is the further certified that

1. The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.845 Hectare of Notified Forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Concerned Nagar Palika Parishad Mussoorie and sub Division Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...... to .... annexure
2. The proposal for such diversion (with full details of project and its implications in vernacular/local language) have been placed herefore such concerned Nagar Palika Parishad Mussoorie of forest-dwellers who are eligble under the FRA.
3. The Nagar Palika Parishad Mussoorie has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Chairman Nagar Palika Parishad Mussoorie is enclosed as annexure .... to.......... annexure.
4. The discussion and decisions on th such proposals had taken place only when there was a quoum of minumum 50% of the members of Nagar Palika Parishad Mussoorie present.
5. The diversion of forest land for facilities managed by the Govenmant as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Nagar Palika Parishad Mussoorie have given their consent to it.
6. The rights of primitive Tribal Gruop and Pre- Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

Encl : as above

Signature

(full name and official seal of the District Collector)

District Megistrate

Dehradun

Form-I
For linear Project
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Tehri Garhwal

No............ Dated............

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of 'The Ministry of Enviroment and Forest (MoEF) Government of india 's letter 11-9/98-Fc(Pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidlines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Regcogination of Forest Rights) Act 2006 (FRA', for Short) on the forest land proposed to be divered for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoLF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that

1.479 Hectare of Forest land and 0.467 hectare of private land proposed to be diverted in favour of **Uttarakhand peyjal Sansadhan Vikas Evam Nirman Nigam, Mussoorie** for for construction of Mussoorie Reorganisation Water Supply Scheme district Tehri Garhwal falls within jurisdication of Sub Megistrate of Dhanolti and Nainbagh.

It is the further certified that

d) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.479 Hectare of Forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Concerned Gram Panchayats and sub Division Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...... to .... annexure

e) The diversion of forest land for facilities managed by the Govenmant as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Concerned Gram Panchayats have given their consent to it.

f) The proposal does not involved recognised rights of Primitive Tribal Group and agriculture communities

Encl : as above

Signature

(full name and official seal of the District Collector)

District Megistrate
Tehri Garhwal

Form-II
For linear Project
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Tehri Garhwal

No........... Dated...........

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of 'The ministry of Enviroment and Forest (MoEF) Government of india 's letter 11-9/98-Fc(Pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidlines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Regcogination of Forest Rights) Act 2006 (FRA', for Short) on the forest land proposed to be divered for non-forest, it is certified that 1.479 hectare of Forest land proposed to be diverted in favour of **Uttarakhand peyjal Sansadhan Vikas Evam Nirman Nigam, Mussoorie** for construction of Mussoorie Reorganisation Water Supply Scheme district Tehri Garhwal falls within jurisdication of Sub Megistrate of Dhanolti and Nainbagh.

It is the further certified that

7. The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.479 Hectare of Forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Concerned Gram Panchayats and sub Division Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...... to .... annexure
8. The proposal for such diversion (with full details of project and its implications in vernacular/local language) have been placed herefore such concerned Gram Panchayats of forest-dwellers who are eligble under the FRA.
9. The each concerned Gram Panchayat has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Concerned Garm Pradhan is enclosed as annexure .... to.......... annexure.
10. The discussion and decisions on th such proposals had taken place only when there was a quoum of minumum 50% of the members of Concerned Gram Panchayats present.
11. The diversion of forest land for facilities managed by the Govenmant as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Concerned Gram Panchayats have given their consent to it.
12. The rights of primitive Tribal Gruop and Pre- Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

Encl : as above

Signature

(full name and official seal of the District Collector)

District Megistrate
Tehri Garhwal

dk;ky; & ftykf/kdkjh] ngjknu
tuin& ngjknu

पत्रांक /　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक –

ou vf/kdkj vf/kfu;e] 2006 d vUrxr tutkrh; 0;fDr ,o ikjEifjd ou fuoklh gr xfBr ftykLrjh; lfefr dh cBd dk dk;oRr%&

दिनांक .... को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति में जनपद–देहरादून में मसूरी वन प्रभाग के मसूरी रेंज अन्तर्गत विकास खण्ड़ रायपुर में निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी के अन्तर्गत प्रस्तावित मसूरी पुनर्गठन पेयजन योजना हेतु अपेक्षित 0.845 है0 वन भूमि का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया, जिस हेतु 0.845 है0 वन भूमि वन विभाग से निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम मसूरी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु सम्बन्धित ग्राम सभाओं एंव उपखण्ड़ समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्तारव के आधार पर प्र''नगत् प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन की अनु''ांसा की गयी है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एंव संस्तुति पर विचार विम''ा किया गया तथा उप जिलाधिकारी मसूरी की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 0.845 है0 वन भूमि जो कि वन विभाग के मसूरी रेंज के अन्तर्गत आती है, पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उप जिलाधिकारी मसूरी की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून।	प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।	जिलाधिकारी देहरादून।

i0-l0---@---------------------------------@　　　fnukd

प्रतिलिपि – अधि''ाासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम मसूरी को सूचनार्थ एंव आव''यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
देहरादून

dk;kZy; & ftykf/kdkjh] fVgjh x<oky
tuin& fVgjh x<oky

पत्रांक   /   दिनांक –

ou vf/kdkj vf/kfu;e] 2006 ds vUrxZr tutkrh; O;fDr ,o ikjEifjd ou fuoklh gsrq xfBr ftykLrjh; lfefr dh cSBd dk dk;ZoRr%&

दिनांक .... को जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति में जनपद–देहरादून में मसूरी वन प्रभाग के कैम्पटी रेंज अन्तर्गत विकास खण्ड़ थत्यूड में निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी के अन्तर्गत प्रस्तावित मसूरी पुनर्गठन पेयजन योजना हेतु अपेक्षित 1.479 है0 वन भूमि तथा 0.467 है0 नाप भूमि का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया, जिस हेतु 1. 479 है0 वन भूमि वन विभाग से निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम मसूरी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु सम्बन्धित ग्राम सभाओं एंव उपखण्ड़ समितियों द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्तारव के आधार पर प्र''नगत् प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन की अनु''ांसा की गयी है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एंव संस्तुति पर विचार विम''ाॅ किया गया तथा उप जिलाधिकारी नैनबाग एवं धनोल्टी की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 1.479 है0 वन भूमि जो कि वन विभाग के कैम्पटी रेंज के अन्तर्गत आती है, पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उप जिलाधिकारी नैनबाग एवं धनोल्टी की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी टिहरी गढ़0।	प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।	जिलाधिकारी टिहरी गढ़0।

i0-l0---@---------------------------------@   fnukad

प्रतिलिपि – अधि''ासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम मसूरी को सूचनार्थ एंव आव''यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़0

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICTD DEHRADUN (UK)

Preceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Dehradun district constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. /Mrs. /Miss……………………….

Deputy commissioner Dehradun on dated………at time…….at……which application claiming rights in Mussoorie forest area measuring 0.845 ha for the construction of Mussoorie Reorganisation Water Supply Scheme.

Forest land under FAR, 2006 if the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Mussoorie Sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny if the documents and detailed discussions, no objection /claims were found have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:………….

Dated:………….

Deputy Commissioner-cum-Chairman

District level committee

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICTD TEHRI GARHWAL (UK)

Preceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Tehri district constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. /Mrs. /Miss……………………….

Deputy commissioner Tehri on dated………at time…….at……which application claiming rights in Mussoorie forest area measuring 1.479 ha and private land 0.467 ha for the construction of Mussoorie Reorganisation Water Supply Scheme.

Forest land under FAR, 2006 if the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Mussoorie Sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny if the documents and detailed discussions, no objection /claims were found have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:………….

Dated:………….

Deputy Commissioner-cum-Chairman

District level committee

कार्यालय – उप जिलाधिकारी, मसूरी।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत् प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, मसूरी।

उपखण्ड मसूरी परिक्षेत्र के मसूरी वन प्रभाग की मसूरी रेंज के अन्तर्गत वन भूमि क्षेत्र में निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी के अन्तर्गत प्रस्तावित मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.845 है0 वन भूमि/आरक्षित वन भूमि/निजी भूमि/पंचायत वन भूमि, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति,(तहसील–मसूरी) की दिनांक 17/2/13 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री श्री० आर० बिनवाल ....उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निमननुसार है।

1. श्री/श्रीमती श्री० आर० बिनवाल ....उप जिलाधिकारी मसूरी अध्यक्ष।
2. श्री/श्रीमती अनुज गुप्ता ....अध्यक्ष नगरपालिका परिषद मसूरी सदस्य।
3. श्री/श्रीमती के० सी० वर्मा ....उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी सदस्य।
4. श्री/श्रीमती [illegible] उपाध्याय सहायक समाज कल्याण अधिकारी रायपुर देहरादून सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मसूरी वन प्रभाग के मसूरी रेंज अन्तर्गत प्रस्तावित मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.845 है0 वन भूमि/आरक्षित वन भूमि/निजी भूमि/पंचायत वन भूमि निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित नगरपालिका द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा /आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड मसूरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत मसूरी वन प्रभाग के मसूरी रेंज अन्तर्गत प्रस्तावित मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.845 है0 वन भूमि/आरक्षित वन भूमि/निजी भूमि/पंचायत वन भूमि, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – मसूरी।
जनपद – देहरादून।

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – मसूरी।
जनपद – देहरादून

कार्यालय – उप जिलाधिकारी, मसूरी।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत् प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, धनोल्टी

उपखण्ड धनोल्टी, टिहरी गढ़वाल परिक्षेत्र के मसूरी वन प्रभाग की कैम्पटी रेंज के अन्तर्गत वन भूमि क्षेत्र में निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी के अन्तर्गत प्रस्तावित मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.504 है0 वन भूमि, / आरक्षित वन भूमि, / सिविल वन भूमि एवं / निजी नाप भूमि निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति,(तहसील–~~मसूरी~~ धनोल्टी) की दिनांक 24/9/19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता)अधिनियम, 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री रविन्द्र जुवांठा ....उप जिलाधिकारी एंव अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्ननुसार है।

1.श्री/श्रीमती रविन्द्र जुवांठा .... उप जिलाधिकारी धनोल्टी अध्यक्ष।
2.श्री/श्रीमती के० पी० वर्मा .... उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य।
3.श्री/श्रीमती मनोज कुमार .... सहा0स0 क0 अधिकारी थत्यूड़ टिहरी गढ़0 सदस्य।
4.श्री/श्रीमती [illegible] .... प्रशासक न्याय पंचायत, कैम्पटी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मसूरी वन प्रभाग के कैम्पटी रेंज अन्तर्गत प्रस्तावित मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.504 है0 वन भूमि/आरक्षित वन भूमि/निजी भूमि/पंचायत वन भूमि, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एंव तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा /आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में सम्मिलित ग्राम पचायतों द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड मसूरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत मसूरी वन प्रभाग के कैम्पटी रेंज अन्तर्गत प्रस्तावित मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.504 है0 वन भूमि/आरक्षित वन भूमि/निजी भूमि/पंचायत वन भूमि, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – धनोल्टी।
जनपद – टिहरी गढ़0।
उप जिलाधिकारी
धनोल्टी

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – धनोल्टी।
जनपद – टिहरी गढ़0।

कार्यालय – उप जिलाधिकारी, मसूरी।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत् प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, नैनबाग।

उपखण्ड नैनबाग, टिहरी गढ़वाल परिक्षेत्र के मसूरी वन प्रभाग की कैम्पटी रेंज के अन्तर्गत वन भूमि क्षेत्र में निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी के अन्तर्गत प्रस्तावित मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 1.443 है0 वन भूमि/आरक्षित वन भूमि/निजी भूमि/पंचायत वन भूमि, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति,(तहसील-नैनबाग) की दिनांक 18/09/19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम, 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री रविन्द्र जुवांठा ....उप जिलाधिकारी एंव अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निमननुसार है।

1.श्री/श्रीमती रविन्द्र जुवांठा ....उप जिलाधिकारी नैनबाग अध्यक्ष।
2.श्री/श्रीमती के०पी० वर्मा ....उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य।
3.श्री/श्रीमती आशीष कुमार ....सहा0स0 क0 अधिकारी थत्यूड टिहरी गढ0 सदस्य।
4.श्री/श्रीमती [illegible] ....प्रशासक न्याय पंचायत, कैम्पटी।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मसूरी वन प्रभाग के कैम्पटी रेंज अन्तर्गत प्रस्तावित मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 1.443 है0 वन भूमि/आरक्षित वन भूमि/निजी भूमि/पंचायत वन भूमि, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यापर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एंव तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा /आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में सम्मिलित ग्राम पंचायतों द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसममति से उपखण्ड मसूरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत मसूरी वन प्रभाग के कैम्पटी रेंज अन्तर्गत प्रस्तावित मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 1.443 है0 वन भूमि/आरक्षित वन भूमि/निजी भूमि/पंचायत वन भूमि, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
उपजिलाधिकारी नैनबाग
जनपद – टिहरी गढ़0।

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – नैनबाग।
जनपद – टिहरी गढ़0।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत – सिया कैम्पटी

तहसील – धनोल्टी

जिला – टिहरी गढ़वाल

उत्तराखण्ड में जनपद–टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थत्यूड़ के मसूरी वन प्रभाग की मसूरी रेंज के अन्तर्गत निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी के द्वारा, सिया कैम्पटी ग्राम पंचायत क्षेत्रान्तर्गत मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिस हेतु अपेक्षित 0.222 है० वन भूमि/पंचायत वन भूमि/निजी भूमि, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय दिनांक 12/7/19 को सम्पन्न सिया कैम्पटी ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सदस्यों/ग्रामवासियों के साथ हुई बैठक में मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना हेतु वांछित भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर क्षेत्रवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत सिया कैम्पटी को उक्त वन भूमि निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ह०

प्रधान ग्राम पंचायत सिया कैम्पटी

ग्राम प्रधान

जिला टिहरी गढ़वाल

ग्राम पंचायत, सिया कैम्पटी

टिहरी गढ़वाल

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत – बग्लोकी कांडी

तहसील – धनोल्टी

जिला – टिहरी गढ़वाल

उत्तराखण्ड में जनपद–टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थत्यूड़ के मसूरी वन प्रभाग की मसूरी रेंज के अन्तर्गत निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी के द्वारा, बंग्लोकी कांडी ग्राम पंचायत क्षेत्रान्तर्गत मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिस हेतु अपेक्षित 0.362 है0 वन भूमि/पंचायत वन भूमि/निजी भूमि, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय दिनांक 7/7/19 को सम्पन्न बंग्लोकी कांडी ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सदस्यों/ग्रामवासियों के साथ हुई बैठक में मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना हेतु वांछित भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर क्षेत्रवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत बंग्लोकी कांडी को उक्त वन भूमि निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ह0

ग्राम पंचायत बंग्लोकी कांडी
प्रधान
ग्राम पंचायत बंग्लोकी कांडी
7-7-19
टिहरी गढ़वाल
जौनपुर, टि0ग0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत – सैंजी

तहसील – नैनबाग

जिला – टिहरी गढ़वाल

उत्तराखण्ड में जनपद–टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थत्यूड़ के मसूरी वन प्रभाग की मसूरी रेंज के अन्तर्गत निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी के द्वारा, सैंजी ग्राम पंचायत क्षेत्रान्तर्गत मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिस हेतु अपेक्षित 0.248 है0 वन भूमि/पंचायत वन भूमि/निजी भूमि, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय दिनांक 10/7/19 को सम्पन्न सैंजी ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सदस्यों/ग्रामवासियों के साथ हुई बैठक में मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना हेतु वांछित भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर क्षेत्रवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत सैंजी को उक्त वन भूमि निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ह0

Rajesh

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत, सैंजी

टिहरी गढ़वाल

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत – भटोली

तहसील – नैनबाग

जिला – टिहरी गढ़वाल

उत्तराखण्ड में जनपद–टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थत्यूड़ के मसूरी वन प्रभाग की मसूरी रेंज के अन्तर्गत निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी के द्वारा, भटोली ग्राम पंचायत क्षेत्रान्तर्गत मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिस हेतु अपेक्षित 0.340 है० वन भूमि/पंचायत वन भूमि/निजी भूमि, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय दिनांक 10/7/19 को सम्पन्न भटोली ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सदस्यों/ग्रामवासियों के साथ हुई बैठक में मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना हेतु वांछित भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर क्षेत्रवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत भटोली को उक्त वन भूमि निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत, भटोली
टिहरी गढ़वाल

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत – सरतली

तहसील – नैनबाग

जिला – टिहरी गढ़वाल

उत्तराखण्ड़ में जनपद–टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड़ थत्यूड के मसूरी वन प्रभाग की मसूरी रेंज के अन्तर्गत निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी के द्वारा, सरतली ग्राम पंचायत क्षेत्रान्तर्गत मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिस हेतु अपेक्षित 0.138 है0 वन भूमि/पंचायत वन भूमि/निजी भूमि, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय दिनांक 7/7/19 को सम्पन्न सरतली ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सदस्यों/ग्रामवासियों के साथ हुई बैठक में मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना हेतु वांछित भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर क्षेत्रवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत सरतली को उक्त वन भूमि निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ह0 7/7/19

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत सरतली

टिहरी गढ़वाल

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत – ~~रणोगी~~ तिमलिपाल गांव

तहसील – नैनबाग

जिला – टिहरी गढ़वाल

उत्तराखण्ड में जनपद–टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थत्यूड़ के मसूरी वन प्रभाग की मसूरी रेंज के अन्तर्गत निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी के द्वारा, रणोगी ग्राम पंचायत क्षेत्रान्तर्गत मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिस हेतु अपेक्षित 0.09 है0 वन भूमि/पंचायत वन भूमि/निजी भूमि, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय दिनांक 10/7/19 को सम्पन्न रणोगी ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सदस्यों/ग्रामवासियों के साथ हुई बैठक में मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना हेतु वांछित भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर क्षेत्रवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत रणोगी को उक्त वन भूमि निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ह0

सतपाल

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत, ~~रणोगी~~ तिमलिपाल गांव

टिहरी गढ़वाल